रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012023-241966
CG-DL-E-14012023-241966

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
No. 222]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2023

का.आ. 236(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.342(अ), तारिख 25 जनवरी, 2022,जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (1) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में जारी अधिसूचना का.आ.6019 (अ) तारीख 22 दिसंबर 2022 द्वारा प्रकाशित उक्त अधिसूचना में संशोधन द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में NH16 के विस्तार में, "6-लेन हनुमान जंक्शन बाईपास (मौजूदा किमी.1055.680 से किमी. 1060.800) (डिजाइन किमी. 0.000 से किमी.6.720) सहित NH-5 के कालापरू (डिजाइन कि.मी.1050.680) से चिन्ना अवतुपल्ली (डिजाइन किमी.1076.480) तक मौजूदा 4-लेन सड़क को 6-लेन का बनाना (कुल डिजाइन लंबाई - 27.40 किमी)" के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ी करण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना दिनांक 25.01.2022 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के तहत "प्रजाशाक्ति" और "दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया" दोनों में दिनांक 01.02.2022 में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

से किमी.6.720) सहित NH-5 (नया एनएच-16) के कालापरू (डिजाइन कि.मी.1050.680) से चिन्ना अवतुपल्ली (डिजाइन किमी.1076.480) तक मौजूदा 4-लेन सड़क को 6-लेन का बनाना (कुल डिजाइन लंबाई - 27.40 किमी) लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में NH16, पैकेज-II के विस्तार में, "6-लेन हनुमान जंक्शन बाईपास (मौजूदा किमी.1055.680 से किमी. 1060.800) (डिजाइन किमी. 0.000) संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश	जिले का नाम: कृष्णा				
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बापूलपाडु				
	गांव का नाम: बोम्मुलूरु				
1	150/2	निजी	वैट्	0.1006	मुसुनूरु शेषगिरि राव (150-2B2)
	गांव का नाम: कनुमोलु (पेरीकीड्डू)				
2	504/2	निजी	वैट्	0.117363	1. मुनुपर्थी सत्यनारायण, 2. मुनुपर्थी रंगम्मा, 3. नर्रा महेश, 4. तट्टी माणिक्यम, 5. श्रीनिवास राव, 6. जोगी नागरत्नम (504-2)
3	504/3	निजी	वैट्	0.0121	1.गोल्लपूड़ी श्रीनिवास बाबू , 2.गोल्लपूड़ी वेणू बाबू (504-3A)

	गांव का नाम: वीरवल्लि				
4	371/3B2B	निजी	वैट्	0.0121	1) शैक नागर बी, 2) सलुमूरु पार्वती (371-3B2A)
			कुल	**0.242163**	

[फा. सं. NHAI/15021/6-Lane/BOT/2008/Tech/GM(CK-I)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2023

S.O. 236(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.342(E) dated 25.01.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) and Amendment to the said notification published vide S.O 6019(E) dated 22.12.2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the said Act, the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.16, in the stretch of Package-II (6-laning of existing 4-lane road from Kalaparru (Design Km. 1050.680) to Chinna Avutupalli (Design Km.1076.480) of NH-5 (new NH-16) including 6-lane Hanuman Junction Bypass from (Existing Km. 1055.680 to Km.1060.800) (Design Ch. 0.000 to Ch. 6.720) (Total Design length - 27.400 Km) in the District of Krishna in the State of Andhra Pradesh.

And whereas the substance of the said notification dated 25.01.2022 has been published in “Prajasakthi (Telugu)” and “The Time of India” both dated 01.02.2022, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH16 in the stretch of land for "Package-II - (6-laning of existing 4-lane road from Kalaparru (Design Km.1050.680) to Chinna Avutupalli (Design Km.1076.480) of NH-5 (New NH-16) including 6-lane Hanuman Junction bypass from (Existing Km.1055.680 to Km.1060.800)(Design Ch. 0.000 to Ch.6.720), (Total Design Length – 27.400 Km.)" in the District of Krishna in the State of Andhra Pradesh

State: ANDHRA PRADESH District: KRISHNA					
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bapulapadu				
	Village: Bommuluru				
1	150/2	Private	Wet	0.1006	Musunuru Seshagiri Rao 150-2B2

	Village: Kanumolu (Perikeedu)				
2	504/2	Private	Wet	0.117363	1. Munuparthi Satyanarayana, 2. Munuparthi Rangamma, 3. Narra Mahesh, 4. Tatti Manikyam, 5. Srinivasa Rao, 6. Jogi Nagaratnam 504-2
3	504/3	Private	Wet	0.0121	1. Gollapudi Srinivas Babu, 2. Gollapudi Venu Babu 504-3A
	Village: Veeravalli				
4	371/3B2B	Private	Wet	0.0121	1) Shaik Nagur B, 2) Salumuru Parvathi 371-3B2A
			TOTAL	**0.242163**	

[F. No. NHAI/15021/6-Lane/BOT/2008/Tech/GM(CK-I)/3D]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.01.14 11:34:29 +05'30'